पंचायतीराज व्यवस्था के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा के व्यवस्थापन एवं विकास में ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका

विनोद कुमार कुमावत

प्रस्तावनाः

देश की आजादी के बाद से शिक्षा केन्द्र के साथ–साथ राज्यों की सूची का विषय रहा है। राज्य सरकारें बच्चों को शिक्षा देने का कार्य केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों व गैर–सरकारी संगठनों की मदद से कर रही है। गत 60 वर्षों में शिक्षा में सुधार की दिशा में अनेकों क्रान्तिकारी कदम उठाए गए। इन प्रयासों से शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में केन्द्र सरकार द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए एक सकारात्मक सोच बनाई। इसके पश्चात् शिक्षा में बदलाव करने का मुद्दा लेकर अनेकों सरकारी व गैर–सरकारी परियोजनाएँ, कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए। वर्तमान में भी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम, कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, विशेष लक्षित समूहों के बच्चों के अलावा कई कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों से शिक्षा के प्रचार–प्रसार में यकीनन फायदा हुआ है।

नई शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम जुड़ा कि 'लोक सहभागिता' के बिना हम शिक्षा के लक्ष्यों को नहीं पा सकते। फिर सिलसिला हुआ ग्राम स्तरीय शिक्षा समितियों के गठन का, उन्हें स्कूल की जिम्मेदारी सौंपने का, उनके सहयोग से प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्यों को पाने का, जिसके सकारात्मक परिणाम सबके सामने हैं।1992 की संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति से सम्बन्धित कार्यनीति में विद्यालय प्रबन्धन विषय के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत नियोजन एवं

प्रबन्धन पर बल दिया गया एवं उनमें जन–समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात की गई।

नई शिक्षा नीति के पैरा 10.08 पर स्पष्ट उल्लेख है कि स्थानीय लोग विद्यालय सुधार कार्यक्रमों में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे।

ग्राम शिक्षा समिति का संगठनात्मक स्वरूपः

ग्राम शिक्षा समिति ग्राम स्तर पर गठित एक छोटी संगठनात्मक इकाई है जो खासकर प्राथमिक शिक्षा के प्रति समर्पित है। यह समिति 15 या 21 सदस्यों का एक संगठन है जिसका गठन प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय एवं प्राथमिक कक्षायुक्त माध्यमिक विद्यालय के लिए किया जाता है। सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक ही इस समिति के पदेन सचिव होते हैं।

ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यः

1. सरपंच–अध्यक्ष।
2. उप सरपंच–उपाध्यक्ष।
3. पदेन सचिव–विद्यालय का संस्था प्रधान।
4. सदस्य–ग्राम पंचायत में स्थित समस्त उ.मा./मा./उ.प्रा./प्रा. विद्यालयों के प्रधान।
5. सदस्य–ग्राम पंचायत की समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों की प्रभारी।
6. सदस्य–ग्राम सचिव।
7. सदस्य–ग्राम पंचायत क्षेत्र के समस्त विद्यालयों की समितियों के अध्यक्ष।
8. सदस्य–समस्त स्वास्थ्य कर्ता साथिन, आशा सहयोगिनी आदि।
9. सदस्य–एक तिहाई वार्ड पंच।
10. सदस्य–दो शिक्षाविद्।
11. सदस्य–समुदाय के मुखिया–2 (एक महिला)
12. सदस्य–एम.टी.ए./पी.टी.ए. के 1/3 प्रधान/अध्यक्ष

विशेष आमंत्रितः

ग्राम पंचायत क्षेत्र के निवासी पंचायत समिति/जिला परिषद् सदस्य, क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठन (शिक्षा) के प्रतिनिधि, शिक्षक संघ के प्रतिनिधि, पटवारी, मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रतिनिधि।

समस्त समितियों का पंजीकरण अनिवार्य हो।

अध्ययन के उद्देश्य

- प्राथमिक शिक्षा के व्यवस्थापन एवं विकास में ग्राम शिक्षा समिति के शैक्षिक उन्नयन में योगदान का अध्ययन करना।
- विद्यालय की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका का अध्ययन करना।
- विद्यालय प्रबन्ध एवं विद्यालय विकास योजना में ग्राम शिक्षा समिति के योगदान के प्रति अभिभावकों एवं शिक्षकों के दृष्टिकोण का अध्ययन करना।
- बालकों के शत–प्रतिशत नामांकन, नियमित उपस्थिति एवं उपलब्धि स्तर को बढ़ाने में ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका अध्ययन करना।
- शिक्षकों की उपस्थिति की नियमितता सुनिश्चित करने में ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका का अध्ययन करना।
- प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित सह–शैक्षणिक गतिविधियों के संदर्भ में ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका का अध्ययन करना।
- ग्राम शिक्षा समिति की कार्यवाही में ग्रामीण महिला सदस्यों की भूमिका का अध्ययन करना।
- ग्राम शिक्षा समिति की कार्यवाही में ग्रामीण पुरुष सदस्यों की भूमिका का अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएँ

- प्राथमिक शिक्षा के व्यवस्थापन एवं विकास में ग्राम शिक्षा समिति सार्थक रूप से योगदान करती है।
- प्राथमिक शिक्षा के शैक्षिक उन्नयन में ग्राम शिक्षा समिति सक्रिय भूमिका का निर्वहन करती है।
- प्राथमिक विद्यालयों की शैक्षिक, सह–शैक्षिक, भौतिक एवं वित्तिय व्यवस्था एवं विकास में ग्राम शिक्षा समिति सार्थक योगदान करती है।

- ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों की सक्रियता से प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की नामांकन संख्या में वृद्धि हुई हैं
- प्राथमिक शिक्षा के व्यवस्थापन एवं विकास में ग्राम शिक्षा समिति की महिला सदस्य सक्रिय भूमिका का निर्वहन करती है।
- प्राथमिक शिक्षा के व्यवस्थापन एवं विकास में ग्राम शिक्षा समिति के पुरुष सदस्य सक्रिय भूमिका का निर्वहन करते है।

न्यादर्शः

अध्ययन में समस्या को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के जयपुर जिले की 6 पंचायत समिति का चयन किया गया है। प्रत्येक पंचायत समिति से प्राथमिक विद्यालयों का चयन किया गया एवं इनके संस्था प्रधान, अध्यापक, अभिभावक, पंच/सरपंच एवं ग्राम शिक्षा समिति सदस्यों में से 256 न्यादर्श का चयन किया गया।

उपकरणः

इस अध्ययन में **"प्राथमिक शिक्षा के व्यवस्थापन एवं विकास में ग्राम शिक्षा समिति के प्रति संस्था प्रधान, अध्यापक, अभिभावक, पंच/सरपंच एवं ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का दृष्टिकोण"** से सम्बन्धित 30 कथनों की एक प्रश्नावली का निर्माण शोधार्थी द्वारा किया गया।

शोध विधिः

अध्ययन की समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके अनुसंधानकर्ता ने सर्वेक्षण विधि का चयन किया।

सांख्यिकी विधिः

1. प्रतिशत
2. दण्ड आरेख

आंकड़ों का विश्लेषण

1. **संस्था प्रधान का दृष्टिकोणः** प्रश्नावली से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि 72 प्रतिशत संस्था प्रधानों का यह मानना है कि ग्राम शिक्षा समिति की बैठकें नियमित होती है, जबकि 16 प्रतिशत ने असहमति जताई तथा 12 प्रतिशत ने कोई

निश्चित मत प्रदान नहीं किया। इसी प्रकार 62 प्रतिशत ने यह माना है कि ग्राम शिक्षा समिति की बैठकों के लिये गये निर्णयों से विद्यालय की व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है, जबकि 19 प्रतिशत ने अपनी असहमतता व्यक्त की है तथा 19 प्रतिशत ने कोई स्पष्ट मत व्यक्त नहीं किया।

विद्यालय में ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका का संस्था प्रधानों के कथनानुसार विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हुआ है कि ग्राम शिक्षा समिति शिक्षा के विकास में सकारात्मक भूमिका निभा रही है। इनमें सभी के प्रयासों को बढ़ाए जाने का प्रयास आवश्यक है।

2. **अध्यापक का दृष्टिकोणः** ग्राम शिक्षा समिति के सहयोग से विद्यालय में शैक्षिक सुविधाएँ बढ़ने के मत से 75 प्रतिशत अध्यापक सहमत पाए गए, जबकि 13 प्रतिशत असहमत तथा 12 प्रतिशत ने कुछ कह नहीं सकने की स्थिति में उत्तर दिया। विद्यालय के विकास सम्बन्धी प्रश्नों पर शिक्षक एक समान विचार रखते हैं और 84 प्रतिशत शिक्षकों ने यह स्वीकार किया है कि विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में वे ग्राम शिक्षा समिति का सहयोग लेते हैं। जबकि 9 प्रतिशत ने असहमति व्यक्त की है एवं 7 प्रतिशत ने कोई निश्चित मत व्यक्त नहीं किया है।

   इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षकों के अनुसार ग्राम शिक्षा समितियाँ विद्यालय को भरपूर सहयोग कर रही हैं।

3. **अभिभावक का दृष्टिकोणः** 75 प्रतिशत अभिभावकों ने यह स्वीकार किया है कि ग्राम शिक्षा समिति की बैठकों में उन्हें आमंत्रित किया जाता है, जबकि 11 प्रतिशत ने असहमति जताई है और 14 प्रतिशत ने कुछ नहीं कह सकते में उत्तर दिया है। ग्राम शिक्षा समिति के गठन से बच्चों के शैक्षणिक स्तर में सुधार हुआ है इससे 61 प्रतिशत अभिभावक सहमत हैं जबकि 20 प्रतिशत असहमत हैं और 19 प्रतिशत की कोई निश्चित राय नहीं है। इसी प्रकार अन्य कथनों के बारे में प्राप्त अभिभावकों के मतों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ग्राम शिक्षा समितियाँ शिक्षा के सार्वभौमिकरण की दिशा में पर्याप्त सहयोग करती है।
4. **पंच/सरपंच का दृष्टिकोणः** सभी 100 प्रतिशत पंच/सरपंच का यह मानना है कि ग्राम शिक्षा समिति द्वारा बच्चों की शैक्षिक प्रगति की समीक्षा की जाती हैं, एवं छात्रों की अध्ययन के प्रति नियमितता में वृद्धि हुई है। 94 प्रतिशत पंच/सरपंच का यह मानना है कि ग्राम शिक्षा समिति के सहयोग से विद्यालय की मूलभूत सुविधाओं में

वृद्धि हुई है जबकि 6 प्रतिशत ने अपनी अनिश्चित राय व्यक्त की है, विशेष बात यह है कि एक भी पंच/सरपंच ने इस मत से असहमति व्यक्त नहीं की। इसी प्रकार अन्य कथनों के बारे में पंच/सरपंच से प्राप्त मतों के आधार पर कहा जा सकता है कि ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका विद्यालय की कार्य प्रणाली, विकास तथा साजो–सामान की उपलब्धता, बच्चे के नियमित आने, स्वास्थ्य परीक्षण, विद्यालय में बच्चों की संख्या बढ़ाने के प्रयास के प्रति उत्तम पाई गई एवं अधिकांश पंच/सरपंच ग्राम शिक्षा समिति के कार्य के प्रति सहमत पाए गए।

5. **ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का दृष्टिकोणः** 78 प्रतिशत ग्राम शिक्षा समिति सदस्यों का मत है कि वे समय–समय पर विद्यालयों का निरीक्षण करते हैं, जिससे विद्यालयों की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होती है। 14 प्रतिशत ग्राम शिक्षा समिति सदस्यों के अनुसार वे अपनी आजीविका अर्जन एवं अन्य कार्यों में अत्यधिक व्यस्तता के कारण समय–समय पर निरीक्षण नहीं कर पाते जबकि 8 प्रतिशत ग्राम शिक्षा समिति सदस्य निश्चित मत व्यक्त नहीं कर सके। 73 प्रतिशत ग्राम शिक्षा समिति सदस्यों का मानना है कि ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय के लिए वित्तिय संसाधन जुटाने में सहयोग करती है जबकि 8 प्रतिशत के अनुसार यह सहयोग नहीं करती और 19 प्रतिशत का इस बारे में कोई निश्चित मत नहीं है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी क्रियाकलाप में ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका उच्च स्तर की है तथा किसी में सामान्य स्तर की लेकिन दिन–प्रतिदिन लोग ग्राम शिक्षा समिति के अधिकार एवं कार्यों के प्रति जागरूक होते जा रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ग्राम शिक्षा समितियाँ विद्यालयों को भरपूर सहयोग कर रही है।

निष्कर्षः

उपर्युक्त परिणामों के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं–

- प्रत्येक ग्राम में ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है, जिनमें अधिकांश की बैठकें प्रतिमाह आयोजित होती हैं।
- ग्राम शिक्षा समितियों की बैठकों में लिये गये निर्णयों पर सकारात्मक दृष्टिकोण से कार्यवाही की जाती है।
- अधिकांश ग्राम शिक्षा समितियाँ सन्तोषजनक कार्य कर रही हैं एवं शिक्षकों का ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के व्यवहार के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है।

- ज्यादातर अभिभावक इस बात को स्वीकार करते हैं कि ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य उनके गाँव के भ्रमण के दौरान मिलते हैं। अधिकांश शिक्षकों एवं अभिभावकों का मानना है कि ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का विद्यालीय गतिविधियों में सहयोगात्मक दृष्टिकोण होता है।
- अधिकतर शिक्षक ग्राम शिक्षा समिति की कार्यप्रणाली एवं विद्यालय के प्रति उनके सहयोग से सन्तुष्ट थे। उनका मानना था कि ग्राम शिक्षा समिति के सहयोग से बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है तथा विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति कम हुई है। अधिकांश शिक्षकों ने यह स्वीकार किया है कि बच्चों की नियमितता तथा शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ी है।
- ग्राम शिक्षा समितियाँ विद्यालय के शैक्षिक विकास में हर प्रकार का सहयोग कर रही है। विद्यालय को उपलब्ध कराई जाने वाली राशि का सही उपयोग ग्राम शिक्षा समिति की बैठकों में सुनिश्चित किया जाता है।
- ग्राम शिक्षा समिति सदस्यों के अनुसार ग्राम शिक्षा समिति की बैठकों में प्राथमिकता के आधार पर सभी बच्चों को विद्यालय में दर्ज कराने, बच्चों की नियमितता को बढ़ाने, बच्चों की ड्राप आउट दर को कम करने एवं उनके सम्प्राप्ति स्तर को बढ़ाने, समुदाय को विद्यालय के करीब लाने का प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय के भौतिक संसाधन से लेकर विद्यालय के सौन्दर्यीकरण में भरपूर सहयोग करती है।

सुझाव

अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर ग्राम शिक्षा समिति के शैक्षिक उन्नयन के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जा रहे हैं–

- प्रतिवर्ष ग्राम शिक्षा समिति के गठन के पश्चात् उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम होना चाहिए जिससे सदस्यों को उनके कर्त्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों की जानकारी मिल सके। अध्यक्ष और सचिव ही अपने स्तर से सरकारी सहायता को व्यय करते हैं, इसलिए सदस्यों का जागरूक होना नितान्त आवश्यक है।
- विद्यालयों के निरीक्षकों को अपने भ्रमण में ग्राम शिक्षा समिति से मिलकर सही कार्यों एवं शैक्षिक गुणवत्ता की मॉनीटरिंग करनी चाहिए जिससे शिक्षक एवं

अन्य पद धारक अभिभावक किसी भी प्रकार की अनियमितता न कर सके। शैक्षिक गतिविधियों का सही मूल्यांकन हो सके।

- विद्यालय को आकर्षक बनाने के लिए विद्यालय के संस्था प्रधान, अध्यापक, अभिभावक, समुदाय के सदस्य ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों की सहमति से विद्यालय को उपलब्ध कराई गई धनराशि को खर्च किया जाना चाहिए।

अंत में, प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता एंव आवश्यकता को देखते हुए ग्राम शिक्षा समितियों का जागरूक होना बहुत ही आवश्यक है। तभी सार्वभौमिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

बडोला, सुनीता एवं उनियाल एन.पी. (जुलाई–2011): "ग्राम शिक्षा समिति के शैक्षिक उन्नयन में योगदान के प्रति प्राथमिक शिक्षकों का अभिमत–सांख्यिकीय अध्ययन", प्राथमिक शिक्षक, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली, पृ.सं. 39–45.

दुबे, भावेश चन्द्र (अक्टूबर–2011): "प्राथमिक शिक्षा हेतु गठित ग्राम शिक्षा समिति के प्रति अभिभावक एवं शिक्षकों का दृष्टिकोण", प्राथमिक शिक्षक, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली, पृ.सं. 87–96.

कुमार, दिनेश (जुलाई–अक्टूबर, 2010): "ग्राम शिक्षा समिति में ई. प्रबन्धन का प्रसार", प्राथमिक शिक्षक, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली, पृ.सं. 60–64.

कुमार, एस. पटेल एवं रमेश व मेहता अंजलि (1999): "प्राथमिक शिक्षा एवं स्कूल की सहभागिता में समुदाय की सहभागिता", प्राथमिक शिक्षा, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली, अक्टूबर–1999.

राज, तिलक (जनवरी–2011): "शिक्षा का विकेन्द्रीकरणः पंचायत राज व्यवस्था में शिक्षा का मॉडल", भारतीय आधुनिक शिक्षा, एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली, पृ.सं. 75–83.

शरण, वल्लभ (2002): "साक्षरता और प्राथमिक शिक्षा उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ", मासिक पत्रिका, कुरूक्षेत्र–अक्टूबर, 2002.